न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 44 / 22 दायर दिनांक: 06.05.2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 107

उनवान

1 शीला देवी पुत्री रामचरन पत्नि निर्भयसिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलॉ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादिनी

बनाम

1 तुरसी पुत्र हुकम 2 लौंगश्री पत्नि तुरसी 3 चन्दराम पुत्र समन्दर 4 जलदेई पुत्री समन्दर 5 साबो पुत्री समन्दर जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलॉ तह. भुसावर 6 रामकटोरी पत्नि रामभरोसी पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली 7 विरमा पत्नि फूलसिंह पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली जाति जाट नि. अरूआ तह. कठूमर जिला अलवर 8 शान्ति पत्नि बच्चू पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली 9 रत्तो पत्नि दरबसिंह पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली जाति जाट नि. खानपुर तह. भुसावर 10 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री शान्तिस्वरूप शर्मा ——वादिनी

निर्णय दिनांक 23/ 04 / 2026

वादिनी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.2100, 1512 रकबा 0.1400, 1515 रकबा 0.0800, 1576 रकबा 0.0500, 1583 रकबा 0.2000, 1584 रकबा 0.1800, 1611 रकबा 0.2300, 1691 रकबा 0.1200, 1692 रकबा 0.0700, 1751 रकबा 0.4800, 1812 रकबा 0.1300, 1821 रकबा 0.2000, 1822 रकबा 0.1900, 1839 रकबा 0.1800, 1840 रकबा 0.0100, 1841 रकबा 0.1000, 1842 रकबा 0.1000, 1920 रकबा 0.0700, 2008 रकबा 0.1700, 2009 रकबा 0.2000, 2038 रकबा 0.1800 किता 21 कुल रकबा 3.2900 हेक्टर मे वादिनी 1/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 1767 रकबा 0.1100, 2111 रकबा 0.1000 किता 2 कुल रकबा 0.2100 हेक्टर मे वादिनी 1/8 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 1366 रकबा 0.0400, 1658 रकबा 0.0400, 1659 रकबा 0.0700, 1688 रकबा 0.1700, 1759 रकबा 0.0900, 1760 रकबा 0.0800, 1814 रका 0.1600 किता 7 कुल रकबा 0.6500 हेक्टर मे वादिनी 1/4 हिस्सा की वाके ग्राम छौकरवाडा कलॉ तहसील भुसावर मे काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा शेष हिस्सो पर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 मे दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। और वादिनी अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है।

उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदार रामप्यारी उर्फ ढकेली पत्नी घमण्डी का स्वर्गवास हो गया है, जिसके तरके पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 काबिज है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत की संयुक्त काश्तकारी एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। लेकिन मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी मनवट के आधार

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

र अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादिनी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित आराजी जो छौकरवाडा– भुसावर सडक मार्ग से लगे हुये है, पर जवरन लटठ व ताकत के बल पर मौके व अच्छी अच्छी आराजी पर कब्जा कर आराजी को किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादिनी को सडक के सहारे की कीमती जमीन व अच्छी एवं मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करना चाहते है। जबकि वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक इंच भाग पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार हित निहित होते है। इस प्रकार बिना विभाजन कराये आराजी को खुर्द बुर्द करने व वादिनी को आराजी से बेदखल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

वादिनी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकालतनामा श्री आजाद बाबू एड. तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 9 की ओर वकालतनामा श्री आशीष चौधरी एड. द्वारा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से No Instruction Plead किया गया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 9 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया, अतः उनका जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 6, 8 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर दावा वादिनी प्रारंभिक डिक्री किया जाना उचित पाते हैं।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2026/1668 दिनांक 16.04.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादिनी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2026/1668 दिनांक 16.04.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 44 / 22 दायर दिनांक: 06.05.2022
जीसीएमएस नं. 2022 / 107

उनवान

1 शीला देवी पुत्री रामचरन पत्नि निर्भयसिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलॉ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादिनी

बनाम

1 तुरसी पुत्र हुकम 2 लौंगश्री पत्नि तुरसी 3 चन्दराम पुत्र समन्दर 4 जलदेई पुत्री समन्दर 5 साबो पुत्री समन्दर जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलॉ तह. भुसावर 6 रामकटोरी पत्नि रामभरोसी पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली 7 विरमा पत्नि फूलसिंह पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली जाति जाट नि. अर्रुआ तह. कठूमर जिला अलवर 8 शान्ति पत्नि बच्चू पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली 9 रत्तो पत्नि दरबसिंह पुत्री रामप्यारी उर्फ ढकेली जाति जाट नि. खानपुर तह. भुसावर 10 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1 श्री शान्तिस्वरूप शर्मा ––वादिनी

डिक्री दिनांक23/ 04 / 2026

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक / भू.अ. / 2026 / 1668 दिनांक 16.04.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)